प्रथम सूचना रिपोर्ट

{अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया सहित}

1. जिला– **भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, बाडमेर** थाना:– **सीपीएस एसीबी जयपुर वर्ष 2022**
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या......26/22...... दिनांक......29/1/2022......
2. (1) अधिनियम **पी0सी0एक्ट** धारा :–**7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन) अधिनियम 2018**
(2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायेः– **120बी भा0दं0सं0**
(3) अधिनियम .... धाराये :–..
(4) अन्य अधिनियम व धाराये :– ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या......674......समय......1:00 pm......
(ब) अपराध के घटने का दिन :– दिनांक **28.01.2022** समय **11.06 ए0एम0**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक **27.01.2022** समय **6.30 पी0एम0**
4. सूचना की किस्म :– **कम्प्यूटराईज्ड**
5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी **:– चौकी से बदिशा पूर्व करीबन 05 किलोमीटर**
(ब) पता :– **कार्यालय आबकारी अधिकारी जिला बाड़मेर**
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :–
6. परिवादी/सूचनाकर्त्ता
(अ) नाम :– **श्री पताराम**
(ब) पिता का नाम :– **श्री दुर्गाराम**
(स) जन्मतिथि/वर्ष :– **उम्र 25 वर्ष**
(द) राष्ट्रीयता :– **भारतीय**
(य) पाटपोर्ट संख्या :–.. जारी होने की तिथी........................
(र) व्यवसाय :– **शराब ठेकेदार**
(ल) पता :– **गांव नोखड़ा तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर**
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–
   1. **श्री राकेश कुमार पुत्र श्री रघुमल खत्री उम्र 37 वर्ष जाति खत्री निवासी राय कॉलोनी स्कूल के पीछे, पांच बत्ती चौराहा, बाड़मेर हाल आबकारी निरीक्षक, आबकारी वृत बाड़मेर मोबाईल नम्बर 9929128405**
   2. **श्री बांकाराम पुत्र श्री सरदाराराम जाति देवासी उम्र 27 वर्ष पैशा कम्प्यूटर कार्य निवासी जेरुपोणियो का तला, सारणो का तला, तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर मोबाईल नम्बर 9799313799**
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारणः– कोई नहीं।
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–..
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य :– **ट्रेप राशि 15,000 रुपये फोन पे से प्राप्त करना**
11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो)..
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ....

२।ण

सेवामे,

श्रीमान् एडीशनल एस0पी0 साहब
ए0 सी0 बी0
बाड़मेर

विषय :– श्री राकेश खत्री आबकारी सी0आई0 एवं उसके दलाल को रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार कराने बाबत।

महोदयजी,

निवेदन मन् पताराम पुत्र श्री दुर्गाराम जाति जाट उम्र 25 वर्ष पैशा शराब ठेकेदारी निवासी नोखड़ा तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर का इस प्रकार है कि मेरे स्वयं के नाम से नोखड़ा में वर्ष 2021–22 में अंग्रेजी–देशी शराब की दुकान आंवटित हो रखी है। उक्त नोखड़ा दुकान पर श्री राकेश खत्री आबकारी सी0आई0 का हल्का लगता है, जिनका स्थानान्तरण माह जनवरी 2022 में गया था एवं नये सी0आई0 ने ऑफिस में ज्वोइन कर ली है। आज दोपहर समय 2.26 मीनट पर श्री राकेश खत्री के मोबाईल नम्बर 9929128405 से मेरे मोबाईल नम्बर 8003730321 पर वाट्सअप कॉल आया एवं मुझे कहा कि मेरा स्थानान्तरण हो चुका है एवं आपकी दुकान के माह नवम्बर व दिसम्बर 2021 की मंथली के 20,000रुपये रिश्वत की मांग की एवं कहा कि आपके पास एक कॉल आयेगा व वह व्यक्ति जो फोन पे नम्बर देगर, उस पर मेरी जो दो माह की मंथली बकाया है वह फोन पे कर देना। उसके बाद में समय 2.32 पी0एम0 पर मेरे मोबाईल वाट्सअप पर मोबाईल नम्बर 9799313799 से वाट्सऍप कॉल आया एवं मुझे बोला कि श्री राकेश जी सी0आई0 ने मेरे उक्त मोबाईल नम्बर पर 20 हजार रुपये उनकी बकाया मंथली के फोन पे करने के लिए मुझे कहा है, आप मेरे इसी फोन नम्बर पर 20 हजार रुपये फोन पे कर देना, जिस पर मैने कहा ठीक है। मै मेरे जायज कार्य के लिए श्री राकेश खत्री सी0आई0 आबकारी बाड़मेर एवं उसके दलाल को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ, उन्हे रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ मेरी उनसे किसी प्रकार की रंजिस या दुश्मनी नहीं है और न ही मेरा आपस में कोई लेन देन बकाया है। मैं श्री राकेश खत्री एवं उसके दलाल से आज दिनांक 27.01.2022 को वाट्अप कॉल से हुई वार्ता के स्क्रीनशाट की प्रति संलग्न पेश कर रहा हूँ।

अतः रिर्पोट कर प्रार्थना है कि कानूनी कार्यवाही करावे।

इति दिनांक –27 01.2022

एसडी / –
रामनिवास
27.01.22

भवदीय,
–एसडी / –
(पताराम)
मोबाईल नम्बर 8003730321

एसडी / –
नरेन्द्र कुमार
कनिष्ठ लेखाकार
एसई पीएचईडी
सर्किल बाड़मेर
28 / 01 / 22

एसडी / –
गजेन्द्रसिंह
8005723365
28 / 01 / 2022

कार्यवाही पुलिस दिनांक 27.01.2022 वक्त 6.30 पी0एम0

इस समय प्रार्थी पताराम पुत्र श्री दुर्गाराम जाति जाट उम्र 25 वर्ष पैशा शराब ठेकेदारी निवासी नोखड़ा तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर ने ब्यूरो कार्यालय बाड़मेर पर उपस्थित होकर मन् रामनिवास अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक कम्प्यूटराईज्ड रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि " मेरे स्वयं के नाम से नोखड़ा में वर्ष 2021–22 में अंग्रेजी–देशी शराब की दुकान आंवटित हो रखी है। उक्त नोखड़ा दुकान पर श्री राकेश खत्री आबकारी सी0आई0 का हल्का लगता है, जिनका स्थानान्तरण माह जनवरी 2022 में गया था एवं नये सी0आई0 ने ऑफिस में ज्वोइन कर ली है। आज दोपहर समय 2.26 मीनट पर श्री राकेश खत्री के मोबाईल नम्बर 9929128405 से मेरे मोबाईल नम्बर 8003730321 पर वाट्सअप कॉल आया एवं मुझें कहा कि मेरा स्थानान्तरण हो चुका है एवं आपकी दुकान के माह नवम्बर व दिसम्बर 2021 की मंथली के 20,000रुपये रिश्वत की मांग की एवं कहा कि आपके पास एक कॉल आयेगा व वह व्यक्ति जो फोन पे नम्बर देगा, उस पर मेरी जो दो माह की मंथली बकाया है वह फोन पे कर देना। उसके बाद में समय 2.32 पी0एम0 पर मेरे मोबाईल वाट्सअप पर मोबाईल नम्बर 9799313799 से वाट्सॲप कॉल आया एवं मुझे बोला कि श्री राकेश जी सी0आई0 ने मेरे उक्त मोबाईल नम्बर पर 20 हजार रुपये उनकी बकाया मंथली के फोन पे करने के लिए मुझे कहा है, आप मेरे इसी फोन नम्बर पर 20 हजार रुपये फोन पे कर देना, जिस पर मैने कहा ठीक है। मै मेरे जायज कार्य के लिए श्री राकेश खत्री सी0आई0 आबकारी बाड़मेर एवं उसके दलाल को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ, उन्हे रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ मेरी उनसे किसी प्रकार की रंजिस या दुश्मनी नहीं है और न ही मेरा आपस में कोई लेन देन बकाया है। मैं श्री राकेश खत्री एवं उसके दलाल से आज दिनांक 27.01.2022 को वाट्अप कॉल से हुई वार्ता के स्कीनशाट की प्रति संलग्न पेश कर रहा हूँ। परिवादी श्री पताराम से दरियाफ्त पर पूछने पर यह भी बताया कि आरोपी मेंरे से एवं अन्य शराब व्यवसाय करने वाले ठेकेदारो से रिश्वत की मांग कोड वर्ड में ही करता है एवं वाट्सअप पर ही वार्ता करता है। परिवादी ने यह भी बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र वह बाजार से टाईप करवाकर लाया है। आरोपी श्री राकेश खत्री ने उसे वाट्सअप कॉल कर बताया था कि उसके द्वारा मेरे नम्बर किसी व्यक्ति को दिये गये है, वह व्यक्ति आपको कॉल करके अपने फोन पे नम्बर देगा, उसमें आप 20,000रुपये प्रति माह के 10,000रुपये के हिसाब से मासिक बंधी के 20,000रुपये फोन पे करके उक्त 20,000रुपये फोन पे ट्रांसफर होने का आपके मोबाईल का स्कीनशाट मुझे भी वाट्सअप कर देना, नहीं तो आपको पता ही है मैं दूसरे सी0आई0 से आपके विरुद्व आबकारी एक्ट का मुकदमा दर्ज करवा दूंगा। परिवादी की रिपोर्ट एवं तकरीरन दरियाफ्त से मामला लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन)अधिनियम की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया गया। परिवादी ने यह भी बताया कि आरोपी बहुत ही चालाक है एवं रुबरु कोई वार्ता नहीं करता है, मोबाईल पर भी वाट्सअप कॉल ही करता है। यह मेरे से वाट्सअप कॉल पर रिश्वती राशि मांग कर लेगा। परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यो पर मोबाईल वाट्सअप वार्ता करवाकर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अलमारी में से ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर निकालकर खाली होना सुनिश्चित कर उसके संचालन की विधि बाबत परिवादी को समझाया गया। तत्पश्चात रिश्वती राशि मांग गोपनीय सत्यापन परिवादी के वाट्सअप कॉल से आरोपी श्री राकेश खत्री सी0आई0 आबकारी बाड़मेर के मोबाईल पर वाट्सअप कॉल करवाकर उक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड करने का निर्णय लिया जाकर परिवादी के मोबाईल वाट्सअप नम्बर 8003730321 से श्री राकेश खत्री सी0आई0 के मोबाईल वाट्सअप नम्बर 9929128405 पर कॉल करवाकर करवाया गया, किन्तु उक्त वाट्सअप कॉल को श्री राकेश खत्री द्वारा रिसिव नहीं किया गया। कुछ ही समय में आरोपी श्री राकेश खत्री के वाट्सअप नम्बर 9929128405 से परिवादी श्री पताराम के वाट्सअप नम्बर 8003730321 पर कॉल आया, जिस पर परिवादी के मोबाईल वाट्सअप का स्पीकर ऑन कर उक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। वार्ता के दौरान परिवादी ने कहा कि वह नम्बर भेजे, उस नम्बर पर करु साहब, जिस पर आरोपी ने कहा कि हॉ उस नम्बर पर करना है चालान, परिवादी ने कहा कि पन्द्रह हजार कर रहा हूँ, जिस पर आरोपी ने कहा कि तेरे चालान ज्यादा है न यार, जिस पर परिवादी ने कहा पन्द्रह हजार कर देता हूँ एक बार, उनको भी देने पडेंगे इस बार तो, जिस पर आरोपी ने कहा कि एक बार करो आप, बैंक में जमा करवाकर कल कर देना, एक बार करो आप, जिस पर परिवादी ने कहा कि पन्द्रह हजार अब कर देता हूँ, जिस पर आरोपी ने कहा कि हॉ एक बार कर दो, उसके बाद आपके चालान, एक्साईज ड्यूटी के हिसाब से एक बार करो, जिस पर परिवादी ने कहा हॉ ठीक है, उक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। परिवादी ने आरोपी श्री राकेश खत्री से हुई वार्ता उपरान्त बताया कि मेरे द्वारा माह में

करीबन 10–12 बार शराब गौदाम से लाईसेंस शुदा शराब प्राप्त की जाती है, जिसका भुगतान मेरे द्वारा यूपीआई के माध्यम से सीधे ही सरकारी बैंक खाते में किया जाता है। आबकारी विभाग में नकद भुगतान नहीं प्राप्त किया जाता है न ही आबकारी कार्यालय में किसी प्रकार की कोई एकल खिड़की बनी हुई है जहॉ किसी प्रकार का कोई लेन--देन होता हो। मेरे विरुद्व किसी प्रकार का कोई चालान भी पैण्डिंग नहीं है एवं शराब प्राप्त करने की राशि सरकार के खाते जमा करवाने के सम्बंध में आबकारी बाड़मेर कार्यालय से किसी प्रकार का कोई लेना–देना नहीं होकर आरएसबीसीएल गोदाम अनुसार ही राशि यूपीआई से जमा करवाई जाती है, किन्तु श्री राकेश खत्री बहुत ही चालाक व्यक्ति है एवं हर बार कोड वर्ड में ही रिश्वत की मांग करता है, जिस पर श्री पताराम के वाट्सअप नम्बर 8003730321 नम्बर से आरोपी श्री राकेश खत्री सी0आई0 के दलाल के मोबाईल वाट्सअप नम्बर 9799313799 पर कॉल करवाकर उक्त वार्ता को रिकार्ड करने का निर्णय लिया गया, किन्तु परिवादी के उक्त वाट्सअप कॉल को श्री राकेश खत्री सी0आई0 के दलाल द्वारा रिसिव नहीं किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री पताराम की दलाल के मोबाईल वाट्सअप कॉल कर वार्ता नहीं होने पर परिवादी श्री पताराम ने बताया कि मैं उक्त नम्बर पर वायस कॉल उक्त व्यक्ति से वार्ता कर लूंगा, उक्त व्यक्ति श्री राकेश खत्री सी0आई0 के कहेनुसार मेरे से वार्ता कर लेगा, जिस पर परिवादी के मोबाईल नम्बर 8003730321 से श्री राकेश खत्री सी0आई0 के दलाल के मोबाईल नम्बर 9799313799 पर वायस कॉल करवाकर उक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड करने का निर्णय लिया जाकर कॉल लगाया गया, किन्तु उक्त व्यक्ति द्वारा कॉल रिसिव नहीं किया गया, जिससे वार्ता नहीं हो सकी। कुछ समय तक परिवादी के मोबाईल पर आबकारी सी0आई0 के दलाल का वाट्सअप कॉल या वायस कॉल आने का इंतजार किया, किन्तु कॉल नहीं आने पर अब बार–बार कॉल करवाने पर उक्त व्यक्ति को किसी प्रकार की शंका होने के मध्यनजर अग्रिम वार्ता दिनांक 28.01.2022 को करवाने का निर्णय लिया गया परिवादी को दिनांक 27.01.2022 को प्रातः 9.30 पी0एम0 पर ब्यूरो चौकी पर उपस्थित होने की हिदायत दी गई एवं अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत पर परिवादी को रुखस्त किया गया।

दिनांक 28.01.2022 को समय 9.30 ए0एम0 पर पूर्व पाबंध सुदा परिवादी श्री पताराम ब्यूरो चौकी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में उपस्थित हुआ, जिस पर परिवादी से श्री राकेश खत्री सी0आई0 के दलाल का उसके मोबाईल पर वाट्सअप कॉल या वायस कॉल आने के सम्बंध में पूछने पर बताया कि एसीबी चौकी से जाने के बाद उसके मोबाईल पर इस बाबत कोई वाट्सअप कॉल या वायस कॉल नहीं आया है। परिवादी ने बताया कि श्री राकेश खत्री सी0आई0 साहब द्वारा मुझे कल 15,000रुपये रिश्वत राशि फोन पे करने हेतु कहा है मैं आज उक्त राशि फोन पे करके उसका स्क्रीनशाट श्री राकेश खत्री सी0आई0 के वाट्सअप पर भेज दूंगा, नहीं तो अब तक उनके द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि नहीं पहुचने पैर वह मेरे विरुद्व आबकारी की झूठी कार्यवाही करवा देंगे, जिस पर परिवादी के बताये अनुसार रिश्वती राशि लेन–देन आज ही होने से ब्यूरो की गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग बाड़मेर के नाम तेहरीर क्रमांक 163 दिनांक 28.01.2022 जारी कर दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु इस कार्यालय के श्री सुराबखां कानि0 को सरकारी मोटरसाईकल के रवाना किया, जो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु गया हुआ ब्यूरो चौकी में दो कार्मिको के साथ उपस्थित आया। दोनो कार्मिको को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय कक्ष में तलब कर उनका परिचय पूछने पर उन्हौने अपना परिचय श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री चम्पालाल जाति मेगवाल उम्र 31 वर्ष पैशा नौकरी निवासी आचार्यो के कुए के पास, ढाणी बाजार बाड़मेर हाल कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वृत बाड़मेर मोबाईल नम्बर 8107077848 एवं श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री बहादुरसिंह जाति रावणा राजपूत उम्र 31 वर्ष निवासी रामनगर बाड़मेर आगोर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वृत बाड़मेर मोबाईल नम्बर 8005723365 होना बताया। तत्पश्चात परिवादी श्री पताराम का स्वतंत्र गवाहान श्री नरेन्द्र कुमार कनिष्ठ लेखाकार एवं श्री गजेन्द्रसिंह कनिष्ठ सहायक से परस्पर परिचय करवाया गया। परिवादी के प्रार्थना पत्र एवं वाट्सअप प्रिन्ट का अवलोकन भी दोनो गवाहान को करवाया गया। तत्पश्चात रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकार्ड थी को चालू कर उपस्थित दोनो गवाहान को सुनाया गया। परिवादी की रिपोर्ट एवं वार्तालाप में सत्यापन से संबधित अंशो को सुनने के पश्चात अपने स्तर पर दोनों गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर करते हुए कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की सहमति प्रदान की। परिवादी श्री पताराम के वाट्सप नम्बर से श्री राकेश खत्री सी0आई0 के दलाल के वाट्सअप नम्बर 9799313799 पर कॉल करवाया गया, किन्तु उक्त व्यक्ति द्वारा वाट्सअप कॉल रिसिव नहीं किया गया, जिस पर पूर्व दलाल से हुई वार्ताअनुसार उक्त दलाल के खाते में परिवादी ने एक रुपया फोन पे करने के पश्चात पुनः वार्ता करने का कहने पर परिवादी श्री पताराम ने अपने फोन पे नम्बर से श्री राकेश खत्री सी0आई0 के

दलाल के फोन पे नम्बर 9799313799 पर एक रुपये फोन पे किया, जिसके यूटीआर नम्बर 202808146583 प्रदर्शित हुए। उक्त फोन पे ट्रांन्जेक्शन को परिवादी द्वारा उक्त दलाल के वाट्अप पर स्कीनशाट प्रेषित किया, जिस पर परिवादी श्री पताराम के फोन पे पर श्री राकेश खत्री सी0आई0 के दलाल के फोन पे नम्बर 9799313799 से Received मैसेज आया, जिसे स्वतंत्र गवाहान को परिवादी ने अपने मोबाईल फोन में रुबरु करवाया। ताबाद समय 11.02 ए0एम0 पर परिवादी श्री पताराम के वाट्सअप नम्बर पर श्री राकेश खत्री सी0आई0 के दलाल के वाट्सअप नम्बर 9799313799 से वाट्अप कॉल आया, जिस पर परिवादी ने कहा कि यह बांकाराम नाम से खाता है, न साहब, जिस पर सामने वाले व्यक्ति ने कहा हॉ, जिस पर परिवादी ने कहा कि इसमें पैसे डाल दू वह वाले, जिस पर सामने वाले व्यक्ति ने कॉल काट दिया। उक्त वार्ता को परिवादी के वाट्सअप का स्पीकर ऑन कर ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड की गई।

तत्पश्चात दिनांक 28.02.2022 को समय 11.06 ए0एम0 पर परिवादी श्री पताराम के फोन पे से श्री राकेश खत्री सी0आई0 के दलाल के फोन पे नम्बर 9799313799 पर स्वतंत्र गवाहान के रुबरु 15,000रुपये रिश्वत राशि को फोन पे की गई, जिसके यूटीआई 202831000087 परिवादी के फोन पे पर प्राप्त हुए। परिवादी ने बताया कि मेरे द्वारा जो एक रुपये फोन पे किया गया वह मैने मेरे ए0यू0 बैंक राय कॉलोनी शाखा से किया था एवं 15,000रुपये फोन पे किये गये वह मेरे एस0बी0आई0 प्रतापजी की प्रोल शाखा से किये गये है, जिसके खाता नम्बर 36548542025 है। परिवादी के मोबाईल से फोन पे ट्रांसफर किये गये का रुबरु गवाहान स्कीनशाट लिया जाकर, उक्त स्कीनशाट की कम्प्यूटर से प्रिन्ट निकालकर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट किया गया। समय 11.30 ए0एम0 पर परिवादी श्री पताराम के वाट्सअप नम्बर पर श्री राकेश खत्री सी0आई0 के वाट्सअप नम्बर 9929128405 से रुबरु स्वतंत्र गवाहान के वाट्अप कॉल आया, जिसे ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। परिवादी ने वाट्अप कॉल को रिसिव कर बोला हॉ सर, जिस पर आरोपी श्री राकेश खत्री सी0आई0 ने बोला कह रहा हूँ, इसका चालान बन गया है न, मैसेज किया है वो डिलीट कर दो थोड़ा, जिस पर परिवादी ने कहा ठीक है तो पन्द्रह ही भेजा है, परिवादी ने कहा पन्द्रह हजार ही भेजा हैं मैने, जिस पर आरोपी ने कहा हॉ भेजा है, चालान बन जायेगा न, यह डिलीट कर देना, जिस पर परिवादी ने कहा ठीक है, डिलीट कर दू, सभी को, जिस पर आरोपी ने कहा हॉ डिलीट कर दो, एवरी–वन आता है न, जिस पर परिवादी ने कहा हॉ–हॉ, जिस पर आरोपी ने कहा चालान बन जायेगा, परिवादी ने कहा ठीक है ठीक है, जिस पर आरोपी ने कहा कि ऑफिस जाउंगा, तब बन जायेगा, जिस पर परिवादी ने कहा ठीक है। उक्त वार्ता को परिवादी के वाट्सअप का स्पीकर ऑन कर ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड की गई।

इस प्रकार आरोपी श्री राकेश खत्री सी0आई0 आबकारी विभाग बाड़मेर द्वारा परिवादी श्री पताराम के शराब ठेके की दो माह मासिक बंधी के प्रति माह 10,000रुपये के हिसाब से दो माह के 20,000रुपये रिश्वत की मांग कर अपने दलाल के फोन पे पर ट्रांसफर करने का कहना, जिस पर परिवादी द्वारा उससे वार्ता कर पन्द्रह हजार रुपये ही फोन पे करने की वार्ता करना, जिस पर परिवादी के फोन पे से आरोपी श्री राकेश खत्री सी0आई0 के दलाल के फोन पे नम्बर 9799313799 पर 01 रुपये भेजने एवं तत्पश्चात 15000रुपये रिश्वत राशि के फोन पे करने, जिसका स्कीनशाट परिवादी द्वारा श्री राकेश खत्री सी0आई0 आबकारी एवं उसके दलाल को वाट्सअप करने पर आरोपी श्री राकेश खत्री द्वारा वाट्सअप कॉल कर चालाकी से वार्ता करने एवं परिवादी के चालान बन जाने एवं उक्त स्कीनशाट को डिलीट करने की वार्ता करना पाया गया। इस प्रकार आरोपी श्री राकेश खत्री सी0आई0 आबकारी बाड़मेर एवं अन्य का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा0दं0सं0 का कारित किया जाना पाया जाता है। इस सम्बन्ध मे विस्तृत हालात उच्चाधिकारियों को अर्ज किये गये। आरोपी श्री राकेश खत्री सी0आई0 आबकारी एवं उसके दलाल को उनके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर गिरफतार किया जाना है, जिस पर परिवादी ने अपने गोपनीय सूत्रो से पता किया तो श्री राकेश खत्री सी0आई0 एवं उनका दलाल अभी आबकारी कार्यालय बाड़मेर में उपस्थित है।

तत्पश्चात मन् रामनिवास अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री मुकनदान निरीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाह श्री नरेन्द्र कुमार एवं श्री गजेन्द्रसिंह, परिवादी श्री पताराम, ब्यूरो दल सदस्य श्री ठाकराराम कानि0, श्री मिश्रीमल कानि0, श्री अनूपसिंह कानि0 दो निजी कार से एवं श्री बांकाराम कानि0 एवं श्री सुराबखां कानि0 सरकारी मोटरसाईकल से मय डिजिटल टेप रिकार्डर, लेपटॉप व प्रिन्टर के अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु आबकारी कार्यालय बाड़मेर के लिए रवाना होकर फिकरा का रवाना सुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के परिवादी श्री पताराम को साथ लेकर आबकारी अधिकारी बाड़मेर के कार्यालय पहुच उक्त कार्यालय में निरीक्षक पुलिस के कक्ष में प्रवेश हुए, उक्त कक्ष में दो व्यक्ति उपस्थित मिले, जिस पर परिवादी श्री पताराम ने बताया कि सामने बैठे हुए व्यक्ति ही श्री राकेश खत्री सी0आई0 है, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं एवं

हमराहियान का परिचय देकर उक्त व्यक्ति का परिचय पूछने पर उसने अपना नाम राकेश खत्री पुत्र श्री रघुमल खत्री उम्र 37 वर्ष जाति खत्री निवासी राय कॉलोनी, पांच बत्ती चौराहा, बाड़मेर हाल आबकारी निरीक्षक, सर्किल बाड़मेर मोबाईल नम्बर 9929128405 होना बताया एवं उक्त कक्ष में कम्प्यूटर पर कार्य कर रहे व्यक्ति का परिचय पूछने पर अपना परिचय बांकाराम पुत्र श्री सरदाराराम जाति देवासी उम्र 27 वर्ष पैशा कम्प्यूटर कार्य निवासी सारणो का तला, होड़ू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर मोबाईल नम्बर 9799313799 एवं 9057263332 होना बताया एवं मैसर्स जेतेश्वर इन्टरप्राईजेज के नाम से आबकारी विभाग बाड़मेर में कम्प्यूटर मय मैन पावर उपलब्ध करवाना एवं स्वयं का आबकारी कार्यालय बाड़मेर में कम्प्यूटर पर कार्य करना भी बताया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री पताराम की तरफ ईशारा कर श्री राकेश खत्री निरीक्षक पुलिस को किसी प्रकार की कोई रिश्वत राशि ऑनलाईन परिवादी को फोन पे करवाने के सम्बंध में पूछने पर उन्हौने बताया कि मैने कल 27.01.2022 को श्री पताराम को वाट्सअप कॉल कर उसकी पैण्डिंग एक्साईज ड्यूटी जमा करवाने का कहा था, जिस पर पास ही उपस्थित श्री पताराम ने श्री राकेश खत्री निरीक्षक पुलिस की बात कर खण्ड़न करते हुए बताया कि सी0आई0 साहब झूठ बोल रहे है, इन्हौने कल दोपहर के समय अपने मोबाईल नम्बर 9929128405 से मेरे मोबाईल नम्बर 8003730321 पर वाट्सअप कॉल कर मुझे कहा कि मेरा स्थानान्तरण हो चुका है एवं आपकी दुकान के माह नवम्बर व दिसम्बर 2021 की मंथली के 20,000रुपये रिश्वत बकाया है, जिस बाबत आपके पास एक कॉल आयेगा व वह व्यक्ति जो फोन पे नम्बर देगा, उस पर मेरी जो दो माह की मंथली बकाया है वह फोन पे कर देना। इन्हौने मेरे को कल मेरी बकाया एक्साईज ड्यूटी का डर दिखाकर मुझे कहा कि मैं आपका ठेका निरस्त करवा दूंगा व मुकदमा बनवा दुंगा, नहीं तो मेरी बकाया मासिक बंधी दे दो। उसके बाद में समय 2.32 पी0एम0 पर मेरे मोबाईल वाट्सअप पर मोबाईल नम्बर 9799313799 से वाट्सॲप कॉल आया एवं मुझे बोला कि श्री राकेश जी सी0आई0 ने मेरे उक्त मोबाईल नम्बर पर 20 हजार रुपये उनकी बकाया मंथली के फोन पे करवाने के लिए मुझे कहा है, आप मेरे इसी फोन नम्बर पर 20 हजार रुपये फोन पे कर देना, जिस पर मैने कहा ठीक है। उक्त वार्ता के पश्चात मेरे द्वारा श्री राकेश खत्री सी0आई0 साहब द्वारा मेरे से रिश्वत मांगने की शिकायत आपके कार्यालय में करने पर आप द्वारा रिश्वत राशि मांग का मोबाईल कॉल कर सत्यापन करवाया था, जिसमें मैने उन्हें कहा कि वह नम्बर भेजे, उस नम्बर पर करु साहब, जिस पर राकेश जी ने कहा कि हॉ उस नम्बर पर करना है चालान, फिर मैन कहा कि पन्द्रह हजार कर रहा हूँ, उसके बाद आज मेरे द्वारा आपके कार्यालय में दो सरकारी गवाहो के सामने पहले फोन पे नम्बर 9799313799 पर एक रुपया भेजा, जिस पर उस व्यक्ति ने रिसिव लिखकर भेजा, उसके बाद मैने 15000रुपये उसके खाते में फोन पे करके उसका स्क्रीनशाट श्री राकेश खत्री सी0आई0 एवं उक्त फोन पे नम्बर के वाट्सअप पर किया, जिस पर कुछ समय बाद श्री राकेश खत्री सी0आई0 का कॉल आया एवं मुझे कहा कि इसका चालान बन गया है न, मैसेज किया है वो डिलीट कर दो थोड़ा, जिस पर परिवादी ने कहा ठीक है तो पन्द्रह ही भेजा है, परिवादी ने कहा पन्द्रह हजार ही भेजा है मैने, जिस पर आरोपी ने कहा हॉ भेजा है, चालान बन जायेगा न, यंह डिलीट कर देना, जिस पर परिवादी ने कहा ठीक है, डिलीट कर दू, सभी को, जिस पर आरोपी ने कहा हॉ डिलीट कर दो, एवरी–वन आता है न, जिस पर श्री राकेश खत्री को पुनः पूछने पर उन्हौने बताया कि मैने इनके चालान की राशि ही ऑनलाईन ट्रांसफर करवाई है, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त वाट्सअप स्क्रीनशाट व वार्ता को ड़िलीट करने का आप द्वारा क्यो कहॉ गया, जिस पर आरोपी ने बताया कि ज्यादा मैसेज मोबाईल पर होने से मोबाईल हैंग हो जाता है, इस कारण मैने डिलीट करने का कहा था, जिस पर आरोपी श्री राकेश खत्री को पूछा गया कि आपके द्वारा परिवादी को मैसेज डिलीट करने का कहा गया है, उससे आपके मोबाईल हैंग कैसे हो सकता है, यहॉ आप उसको अपने मोबाईल में स्क्रीनशाट व वाट्सअप कॉल को डिलीट करने के लिए कह रहे है, जिस पर श्री राकेश खत्री चुप हो गये एवं इस सम्बंध में कुछ भी नहीं बताया। पास ही उपस्थित श्री बांकाराम को पूछने पर उसने बताया कि मैने श्री राकेश खत्री सी0आई0 साहब के कहे अनुसार श्री पताराम से वार्ता कर उक्त राशि को मेरे फोन पे पर ट्रांसफर करवाई है, जिसका चालान मैं जमा करवाने वाला था। तत्पश्चात श्री राकेश खत्री सी0आई0 एवं श्री बांकाराम कम्प्यूटर ऑपरेटर को दस्तयाब कर अग्रिम कार्यवाही एसीबी चौकी बाड़मेर पहुच करने का निर्णय लिया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो निजी कार, सरकारी मोटरसाईकल, परिवादी श्री पताराम, दस्तयाब सुदा श्री राकेश खत्री सी0आई0 व श्री बांकाराम कम्प्यूटर ऑपरेटर के ब्यूरो जाब्ता सहित रवाना होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के ब्यूरो चौकी पहुचा।

तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दस्तयाब सुदा श्री बांकाराम को एक पृथक कमरे में बिठाकर उसकी निगरानी हेतु ब्यूरो स्टाफ को मामूर कर श्री राकेश खत्री सी0आई0 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के रुबरु पुनः रिश्वत राशि फोन पे करवाने के सम्बंध में पूछने पर श्री राकेश खत्री सी0आई0 ने बताया कि मैं

वर्तमान में बाड़मेर वृत में आबकारी निरीक्षक के पद पर पदस्थापित हूँ, जिन ठेकेदारो ने दिसम्बर 2021 तक एक्साईज ड्यूटी जमा नहीं करवाई गई है उनको जमा करवाई जा रही है। दिनांक 27.01.2022 को मैने श्री पताराम को वाट्सअप कॉल कर उसको एक्साईज ड्यूटी जमा करवाने का कहा था एवं कहा था कि मेरे कहे अनुसार जो व्यक्ति आपको कॉल करेगा उसके फोन पे पर आपकी राशि 20,000रुपये जमा करवा देना, जिस पर मैने श्री बांकाराम को कहा कि आप श्री पताराम से बात कर अपने खाते में एक्साईज ड्यूटी जो बकाया है, वह पताराम से जमा करवा दो एवं उसका चालान बनाकर बैंक में जमा करवा देना। मैने श्री पताराम को कहा था कि जो राशि फोन पे करे उसका स्क्रीनशाट मुझे भेजकर बाद में डिलिट कर देना। मेरे कहे अनुसार श्री पताराम ने आज 15000रुपये का स्क्रीनशाट मुझे भेजा था। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रुबरु गवाहान आरोपी श्री राकेश खत्री आबकारी निरीक्षक से एक्साईज ड्यूंटी अपने सहकर्मी के खाते में ट्रांसफर करवाकर चालान जनरेट करवाकर बैंक में जमा करवाने के सम्बंध भें नियम पूछने पर उन्होंने ऐसा कोई नियम नहीं होना बताया एवं ठेकेदार की बकाया राशि सरकारी बैंक के खाते की जगह स्वयं के खाते में करवाने बाबत पूछने पर वह निरुत्तर रहे एवं कुछ भी नहीं बोला। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री बांकाराम से पुनः पूछने पर बताया कि शराब ठेकेदारो की बकाया एक्साईज ड्यूटी सी0आई0 साहब के कहने पर मैं अपने खाते में जमा करवाकर उसका चालान बनाकर बैंक में जमा करवाता हूँ, आज मैने श्री राकेश खत्री सी0आई0 साहब के कहने पर ही श्री पताराम की बकाया एक्साईज ड्यूटी के 15000रुपये अपने खाते में डलवाकर उसका चालान ऑनलाईन जनरेट करवाकर बैंक में जमा करवाने हेतु जा ही रहा था, जितने में आप लोग आ गये, मैने सी0आई0 साहब के कहने से ही श्री पताराम से राशि अपने खाते में फोन पे करवाई है, जिस पर रुबरु गवाहान दोनो आरोपीगण को शराब ठेकेदारो की बकाया एक्साईज राशि अपने खाते में जमा करवाकर उसका ऑनलाईन चालान जनरेट करवाने के सम्बंध में विभागीय प्रक्रिया के सम्बंध में पूछने पर वह निरुत्तर रहे एवं श्री बांकाराम ने बताया कि मैं अधिकतर ऐसे ही जमा करवाता हूँ, जिस पर श्री बांकाराम ने इस प्रकार अन्य किसी व्यक्ति के आनलाईन जमा करवाने के सम्बंध में पूछने पर उसने कहा कि मुझे आज याद नहीं है एवं श्री राकेश खत्री से भी पूछने पर बताया कि मुझे याद नहीं है कि मेरे द्वारा किसी की और भी राशि इस प्रकार फोन पे करवाकर चालान बैंक में जमा करवाया गया है। ट्रेप कार्यवाही में महिला कानि0 की आवश्यकता होने से पुलिस लाईन बाड़मेर से एक महिला कानि0 को ब्यूरो चौकी पर उपस्थित करवाने बाबत संचित निरीक्षक पुलिस लाईन बाड़मेर को सूचित किया गया।

तत्पश्चात श्री राकेश खत्री आबकारी निरीक्षक की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री गजेन्द्रसिंह से लिरवाई जाने पर उनके पहने हुए कपड़ो के अतिरिक्त उनके पास एस0बी0आई0 कम्पनी का एक डेबिट कार्ड नम्बर 6074310133290511, स्वयं के नाम आधार कार्ड नम्बर 360461346584, एक लेदर पर्स व 750रुपये नकद एवं एक एप्पल कम्पनी का मोबाईल जिसमें एयरटैल सीम नम्बर 9799313799 होना आरोपी ने बताया। इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि, वस्तु या दस्तावेजात नहीं मिले, न ही कब्जा ब्यूरो लिये गये, जिन्हें पुनः श्री राकेश खत्री निरीक्षक पुलिस को सुपूर्द किये जाकर रुबरु गवाहान आरोपी श्री राकेश खत्री आबकारी निरीक्षक को अपना मोबाईल प्रस्तुत करने का कहने पर उनके द्वारा एक एप्पल कम्पनी का मोबाईल प्रस्तुत किया एवं बताया कि इसमें सीम नम्बर 9799313799 है, उक्त सीम एयरटैल कम्पनी की है, जिसका उपयोग मैं स्वयं ही करता हूँ, जिसको रुबरु गवाहान अवलोकन करने पर श्री पताराम से सम्बंधित कोई भी वाट्सअप कॉल व चैटिंग होना नहीं पाई गई, जिसके सम्बंध में आरोपी श्री राकेश खत्री से पूछने पर उसने बताया कि मैने श्री पताराम को स्क्रीनशाट डिलीट करनें का कहा था एवं मैने भी श्री पताराम से हुई वार्ता एवं स्क्रीनशाट को डिलीट कर दिया था। आरोपी श्री राकेश खत्री आबकारी निरीक्षक का मोबाईल मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं के कब्जे में लिया गया, जिसे पृथक से जरिये फर्द कब्जा ब्यूरो लिया जायेगा। आईन्दा अनुसंधान के दौरान अग्रिम अनुसंधान अधिकारी द्वारा आवश्यकता होने पर उक्त मोबाईल में डिलीट किये गये स्क्रीनशाट को एफएसएल से परीक्षण करवाया जा सकता है। ट्रेप कार्यवाही में पुलिस लाईन बाड़मेर से श्रीमति सरस्वती महिला कानि0 नं0 1393 उपस्थिति आई, जिस पर आरोपी श्री राकेश खत्री आबकारी निरीक्षक के रहवासीय मकान की खाना तलाशी मूर्तिब करना आवश्यक होने से श्री मुकनदान निरीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाह श्री गजेन्द्रसिंह व श्री नरेन्द्र कुमार, ब्यूरो दल सदस्य श्री सुराबखां कानि0, श्री ठाकराराम कानि0 महिला कानि0 मय सरकारी वाहन के आरोपी के बताये अनुसार उनके निवास स्थान राय कॉलोनी, पॉच बस्ती चौराहा बाड़मेर की तरफ रवाना किया गया।

तत्पश्चात श्री बांकाराम कम्प्यूटर ऑपरेट के पास एक मोबाईल सैमसंग कम्पनी का होना पाया गया, जिसमें आरोपी ने जीयो सीम नम्बर 9799313799 एवं 9057263332 होना बताया, जिस पर उक्त मोबाईल में वाट्सप चैटिंग व कॉल रिकार्ड होने के कारण श्री बांकाराम कम्प्यूटर ऑपरेटर की श्री राकेश खत्री आबकारी निरीक्षक एवं परिवादी श्री पताराम के साथ हुई वाट्सअप

कॉल व चैटिंग के स्क्रीनशाट लिये जाकर ब्यूरो चौकी की ई–मेल आई0डी0 पर भेजकर उसकी प्रिन्ट निकालकर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। ताबाद श्री मुकनदान निरीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाह श्री गजेन्द्रसिंह व श्री नरेन्द्र कुमार, ब्यूरो दल सदस्य श्री सुराबखां कानि0, श्री ठाकराराम कानि0, महिला कानि0 मय सरकारी वाहन के आरोपी श्री राकेश खत्री आबकारी निरीक्षक के रहवासीय मकान की खाना तलाशी मूर्तिब कर ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुए एवं मूर्तिब सुदा फर्द प्रस्तुत की, जिसे बाद अवलोकन शामिल रनिंग नोट की गई एवं शाखा प्रबंधक, स्टैट बैंक ऑफ इण्ड़िया, कलेक्ट्रेट शाखा बाड़मेर के नाम एक तेहरीर मूर्तिब कर पत्र में वर्णित सूचना/दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियॉ लाने हेतु श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 को रवाना किया गया। श्री बांकाराम कम्प्यूटर ऑपरेटर की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री गजेन्द्रसिंह से लिरवाई जाने पर उनके पहने हुए कपड़ो के अतिरिक्त उनके पास स्वयं का आधार कार्ड एवं पेन कार्ड, स्वयं का मतदाता पहचान पत्र, स्वयं का ड्राईवरिंग लाईसेंस एवं डेबिट कार्ड पाये गये। इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि, वस्तु या दस्तावेजात नहीं मिले, न ही कब्ज़ा ब्यूरो लिये गये, जिन्हें पुनः श्री बांकाराम कम्प्यूटर ऑपरेटर को सुपूर्द किये गये। श्री बांकाराम कम्प्यूटर ऑपरेटर के पास एक सैमसंग कम्पनी का मोबाईल पाया गया, जिसे स्वीच ऑफ कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने ट्रेप बाक्स में जमा किया। ताबाद श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 भारतीय स्टेट बैंक, कलेक्ट्रेट शाखा बाड़मेर के पत्र कमांक बीएम/82 दिनांक 28.01.2022 के द्वारा खाता संख्या 61186905832 एवं खाता संख्या 36548542025 की सूचना एवं इस्टेटमेन्ट की प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त हुई, जिसमें खाता संख्या 61186905832 आरोपी श्री बांकाराम के नाम होना एवं उसमें मोबाईल नम्बर 9799313799 लिंक होकर फोन पे से रेफरेंस नम्बर 4693463162093 से 15000रुपये प्राप्त होना पाया गया एवं खाता संख्या 36548542025 श्रीमति रुखमणी के नाम होना पाया गया, जिसके सम्बंध में परिवादी से पूछने पर स्वयं की पत्नि का नाम होकर उक्त खाता उसके नाम से होना एवं ऑनलाईन ट्रांजेक्शन व फोन पे का उपयोग उसके द्वारा ही किया जांना बताया। बैंक से प्राप्त सूचना को शामिल रनिंग नोट किया गया।

तत्पश्चात आरोपीगण श्री राकेश खत्री एवं श्री बांकाराम कम्प्यूटर ऑपरेटर के कार्यालय कक्ष की खाना तलाशी मूर्तिब करने हेतु श्री मुकनदान निरीक्षक पुलिस को निर्देशित कर उनके साथ दोनो स्वतंत्र गवाहान व आरोपीगण श्री राकेश खत्री व श्री बांकाराम कम्प्यूटर ऑपरेटर को साथ लेकर ब्यूरो जाब्ता श्री सुराबखां कानि0, श्री बांकाराम कानि0, श्री मिश्रीमल कानि0 मय सरकारी वाहन के रवाना किया। परिवादी को ब्यूरो चौकी पर ही उपस्थित रहने की हिदायत हुई। ताबाद श्री मुकनदान निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के आरोपीगण के कार्यालय कक्ष की खाना तलाशी मूर्तिब कर पुनः ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुए। मूर्तिब सुदा फर्द मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपूर्द की, जिसे बाद अवलोकन शामिल रनिंग नोट किया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने ट्रेप बाक्स में से आरोपी श्री बांकाराम कम्प्यूटर आपरेट का मोबाईल निकालकर उसे चालू कर आरोपी श्री बांकाराम से उक्त मोबाईल में से एक रुपये की राशि फोन पे करने के पश्चात रिसिव होने का मैसेज करने के स्क्रीनशाट को ब्यूरो चौकी के ई–मेल पर मेल करवाकर उसकी प्रिन्ट निकलवाकर कब्जा ब्यूरो लिया जाकर आरोपी का मोबाईल स्वीच ऑफ किया गया। ट्रेप कार्यवाही में परिवादी श्री पताराम एवं आरोपी श्री राकेश खत्री आबकारी निरीक्षक के मध्य दिनांक 27.01.2022 को हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वाट्सअप वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड हैं। उक्त वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट् मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के कम्प्यूटर के माध्यम से दो सीडीयॉ श्री बांकाराम कानि0 से तैयार की जाकर एक सी0डी0 को मूल मानते हुये कपडो की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दूसरी सी.डी. को डब मानते हुये खुली रखी गई। आरोपी श्री राकेश खत्री आबकारी निरीक्षक की आवाज की पहचान परिवादी श्री पताराम द्वारा की गई। उक्त मूर्तिब सुदा सीडीयॉ श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 को सुपूर्द कर जमा मालखाना करवाई गई एवं परिवादी श्री पताराम एवं आरोपी श्री बांकाराम कम्प्यूटर ऑपरेटर के मध्य फोन पे पर रिश्वती राशि 15,000रुपये के लेन–देन से पूर्व हुई वाट्सअप कॉल वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड हैं। उक्त वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट् मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के कम्प्यूटर के माध्यम से दो सीडीयॉ श्री बांकाराम कानि0 से तैयार की जाकर एक सी0डी0 को मूल मानते हुये कपडो की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दूसरी सी.डी. को डब मानते हुये खुली रखी गई। आरोपी श्री बांकाराम कम्प्यूटर ऑपरेटर की आवाज की पहचान परिवादी श्री पताराम द्वारा उसके फोन पे पर फोटो प्रदर्शित होने पर पहचानने एवं आबकारी कार्यालय में कभी–कभी कार्य होने से आने पर उसकी आवाज की पहचान की गई। उक्त मूर्तिब सुदा सीडीयॉ श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 को सुपूर्द कर जमा मालखाना करवाई गई एवं परिवादी श्री पताराम एवं आरोपी श्री राकेश खत्री आबकारी निरीक्षक के मध्य फोन पे पर रिश्वती राशि 15,000रुपये के

लेन–देन के पश्चात वाट्सअप कॉल पर हुई वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड हैं। उक्त वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट् मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के कम्प्यूटर के माध्यम से दो सीडीयॉ श्री बांकाराम कानि0 से तैयार की जाकर एक सी0डी0 को मूल मानते हुये कपडो की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दूसरी सी.डी. को डब मानते हुये खुली रखी गई। आरोपी श्री राकेश खत्री आबकारी निरीक्षक की आवाज की पहचान परिवादी श्री पताराम द्वारा की गई। उक्त मूर्तिब सुदा सीडीयॉ श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 को सुपूर्द कर जमा मालखाना करवाई गई।

तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही में अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री राकेश खत्री पुत्र श्री रघुमल खत्री उम्र 37 वर्ष जाति खत्री निवासी राय कॉलोनी, पांच बत्ती चौराहा, बाड़मेर हाल आबकारी निरीक्षक, सर्किल बाड़मेर के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा0दं0सं0 का कारित किया जाने से उसे उसके द्वारा किए गए जुर्म से आगाह कर उसे ट्रेपकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम से अवगत करवाकर अन्तर्गत धारा 41 सी0आर0पी0सी0 के प्रावधानों के तहत जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार उनके पिता श्री रघुमल के चौकी पर उपस्थित आने पर उनको दी गई एवं आरोपी बांकाराम पुत्र श्री सरदाराराम जाति देवासी उम्र 27 वर्ष पैशा कम्प्यूटर कार्य निवासी सारणो का तला, होडू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा0दं0सं0 का कारित किया जाने से उसे उसके द्वारा किए गए जुर्म से आगाह कर उसे ट्रेपकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम से अवगत करवाकर अन्तर्गत धारा 41 सी0आर0पी0सी0 के प्रावधानों के तहत. जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार उसके मित्र श्री गोविन्दराम को दी गई। ट्रेप कार्यवाही में आरोपीगण श्री राकेश खत्री आबकारी निरीक्षक एवं श्री बांकाराम कम्प्यूटर ऑपरेटर के मोबाईल ट्रेप कार्यवाही में वांछित होने एवं उक्त मोबाईल में वाट्सअप स्कीनशाट उपलब्ध होने एवं श्री राकेश खत्री द्वारा अपने मोबाईल से डिलीट करने पर दोनो आरोपीगण के मोबाईलो को पृथक से जरिये फर्द जब्त किये गये। ट्रेप कार्यवाही में अब दोनो स्वतंत्र गवाह श्री नरेन्द्र कुमार, श्री गजेन्द्रसिंह व परिवादी श्री पताराम को रुखस्त दी जाकर गिरफ्तार सुदा आरोपीगण श्री राकेश खत्री आबकारी निरीक्षक एवं श्री बांकाराम कम्प्यूटर ऑपरेटर का कोविड 19 टेस्ट एवं स्वास्थ्य परीक्षण करवाने हेतु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर के नाम तेहरीर मुर्तिब कर श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0, श्री लालाराम कानि0, श्री बांकाराम कानि0 मय आरोपीगण मुनासिब हिदायत दी जाकर जरिये सरकारी वाहन के रवाना किया गया। ब्यूरो दल सदस्यो को आरोपीगण को पुलिस थाना कोतवाली हवालात में बाद स्वास्थ्य परीक्षण जमा करवाने हेतु तेहरीर जारी कर रवाना किया गया, जो उपरोक्त फिकरा के गये हुए ब्यूरो जाब्ता आरोपीगण श्री राकेश खत्री आबकारी निरीक्षक एवं श्री बांकाराम कम्प्यूटर ऑपरेटर का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर आरोपीगण को पुलिस थाना कोतवाली की हवालात में सुरक्षित जमा करवाकर ब्यूरो पर उपस्थित आए एवं बताया कि आरोपीगण का कोविड19 टेस्ट आज नहीं हो पाया है, जिसे दिनांक 29.01.2022 को आरोपीगण को माननीय न्यायालय में पेश करने से पूर्व करवाया जायेगा।

इस प्रकार सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री पताराम ने दिनांक 27.01.2022 को एक प्रार्थना प्रस्तुत कर बताया कि मेरे नोखड़ा में शराब का ठेका है, जिस पर उक्त दुकान की माह नवम्बर व दिसम्बर 2021 की मासिक बंधी के लिए श्री राकेश खत्री सी0आई0 आबकारी बाड़मेर ने उसको वाट्सअप कॉल कर कहा कि तेरे पास एक व्यक्ति कॉल करके फोन पे नम्बर देगा, उस पर 20,000रुपये मासिक बंधी के भेज कर स्क्रीनशाट मुझे भेज देना, उसके कुछ समय बाद एक व्यक्ति ने वाट्सअप .कॉल कर उक्त मोबाईल नम्बर पर ही 20,000रुपये श्री राकेश खत्री सी0आई0 की मासिक बंधी के फोन पे करना का कहा, जबकि श्री राकेश खत्री का स्थानान्तरण हो चुका है। परिवादी द्वारा ब्यूरो चौकी पर शिकायत प्रस्तुत करने पर परिवादी श्री राकेश खत्री सी0आई0 की परिवादी श्री पताराम से वाट्सअप कॉल पर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया, जिस पर पहले आरोपी ने कॉल रिसिव नहीं किया एवं तुरन्त ही पुनः आरोपी ने वाट्सअप कॉल कर परिवादी ने कहा कि वह नम्बर भेजे, उस नम्बर पर करु साहब, जिस पर आरोपी ने कहा कि हॉ उस नम्बर पर करना है चालान, परिवादी ने कहा कि पन्द्रह हजार कर रहा हूँ, जिस पर आरोपी ने कहा कि तेरे चालान ज्यादा है न यार, जिस पर परिवादी ने कहा पन्द्रह हजार कर देता हूँ। आज दिनांक 28.01.2022 को रुबरु गवाहान आरोपी श्री राकेश खत्री द्वारा दिये गये फोन पे नम्बर पर 15000रुपये कर उसका स्क्रीनशाट श्री राकेश खत्री सी0आई0 एवं श्री बांकाराम के वाट्अप करने पर श्री राकेश

खत्री सी0आई0 ने कहा कि इसका चालान बन गया है न, मैसेज किया है वो डिलीट कर दो थोड़ा, जिस पर परिवादी ने कहा ठीक है तो पन्द्रह ही भेजा है, परिवादी ने कहा पन्द्रह हजार ही भेजा है मैने, जिस पर आरोपी ने कहा हॉ भेजा है, चालान बन जायेगा न, यह डिलीट कर देना, जिस पर परिवादी ने कहा ठीक है, डिलीट कर दू, सभी को, जिस पर आरोपी ने कहा हॉ डिलीट कर दो, एवरीवन आता है न। इस प्रकार श्री राकेश खत्री सी0आई0 ने परिवादी श्री पताराम के नोखड़ा स्थित शराब की नवम्बर व दिसंम्बर 2021 की मासिक बंधी के 20,000रुपये रिश्वत की मांग कर 15000रुपये रिश्वत राशि अपने कार्यालय में लगे हुए कम्प्यूटर ऑपरेटर के खाते में फोन पे करवाये एवं उक्त सभी मैसेजेज को डिलीट करने बाबत परिवादी को कहा। सह आरोपी श्री बांकाराम को पूछने पर उसने बताया कि मैने सी0आई0 साहब के कहने पर अपने फोन पे नम्बर श्री पताराम को देकर 15,000रुपये अपने खाते में फोन पे करवाये है। इस प्रकार आरोपीगण श्री राकेश कुमार आबकारी निरीक्षक, एवं श्री बांकाराम कम्प्यूटर ऑपरेटर का उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा0दं0सं0 का कारित किया प्रमाणित पाया गया।

अतः आरोपीगण श्री राकेश कुमार पुत्र श्री रघुमल खत्री उम्र 37 वर्ष जाति खत्री निवासी राय कॉलोनी स्कूल के पीछे, पांच बत्ती चौराहा, बाड़मेर हाल आबकारी निरीक्षक, आबकारी वृत बाड़मेर एवं श्री बांकाराम पुत्र श्री सरदाराराम जाति देवासी उम्र 27 वर्ष पैशा कम्प्यूटर कार्य निवासी जेरुपोणियो का तला, सारणो का तला, तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर के विरुद्व बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावे।

भवदीय,

(रामनिवास)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
बाड़मेर

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रामनिवास, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भादंसं में अभियुक्तगण 1.श्री राकेश कुमार, आबकारी निरीक्षक, आबकारी वृत्त बाड़मेर एवं 2.श्री बांकाराम पुत्र श्री सरदाराराम पैशा कम्प्यूटर कार्य निवासी जेरूपोणियो का तला, सारणो का तला, तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 26/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

29.1.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 257-61 दिनांक 29.1.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर।
4. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर।

29.1.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।